रजिस्ट्री सं० डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, फरवरी 20—फरवरी 26, 2005, शनिवार/फाल्गुन 1—फाल्गुन 7, 1926

No. 4] NEW DELHI, FEBRUARY 20—FEBRUARY 26, 2005, SATURDAY/PHALGUNA 1—PHALGUNA 7, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2005

का०नि०आ० 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' (वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उनका संबंध वैज्ञानिक सहायक, श्रेणी-I और वैज्ञानिक सहायक, श्रेणी-II के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में वैज्ञानिक सहायक, श्रेणी-I और वैज्ञानिक सहायक, श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' (वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2005

का०नि०आ० 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3 ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्रेणी-II	55* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अनुसचिवीय	8000-275-13500 रु.	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	लागू नहीं होता	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी लोक उपक्रम या किसी स्वायत संगठन या अर्द्ध सरकारी संगठन या संबद्ध किसी वाणिज्य के अधीन प्रशासनिक, स्थापना और पर्यवेक्षीय हैसियत में लेखा कार्य का चार वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। **वांछनीय :** (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कार्मिक प्रबंधन या औद्योगिक संबंध में डिप्लोमा। (ii) वैज्ञानिक या औद्योगिक या तकनीकी संगठन या विभाग में अनुभव।	लागू नहीं होता	एक वर्ष

(11)	(12)
65% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 25% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 10% सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :**—ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने 6500-10500 रु. के वेतनमान में, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती (संशोधन) नियम 2005 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी की प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष होगी। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** (अल्पकालिक संविदा सहित) : 1. केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत संगठन या अर्द्ध सरकारी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष तक सेवा की है; और (ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षणिक अर्हताएं रखता है। **टिप्पण :**—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविधा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविधा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी''।

(13)		(14)
I. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :—		इन नियमों के किसी उपबंध के संशोधित/शिथिल करते समय तथा पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है''।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	
2. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास या कार्मिक प्रमुख, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	—सदस्य	

(13)	(14)
3. कार्मिक प्रमुख या मानव संसाधन विकास निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य	
4. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विभाग/एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास) से उप सचिव से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी —सदस्य	
II. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :—	
1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास या कार्मिक प्रमुख, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष	
2. कार्मिक प्रमुख या मानव संसाधन विकास निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य	
3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन/एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास) से उप सचिव से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी —सदस्य	

(ख) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6 ज्येष्ठ भंडार अधिकारी, श्रेणी-II	28* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	8000-275-13500 रु.	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	**प्रोन्नति :**—ऐसे भंडार अधिकारी, जिन्होंने 6500-10500 रु. के वेतनमान में, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी की प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष होगी। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि इसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

(12)

प्रतिनियुक्ति : (अल्पकालिक संविदा सहित)

1. केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत संगठन या अर्द्ध सरकारी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष तक सेवा की है; और

(ख) जो तकनीकी भंडार क्रय या मंगाने और उनके बनाए रखने या लेखा से संबंधित चार वर्ष का अनुभव रखते हैं।

टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)		(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :—		इन नियमों के किसी उपबंध की संशोधित/शिथिल करते समय तथा पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	
2. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास या कार्मिक प्रमुख, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	—सदस्य	
3. कार्मिक प्रमुख या मानव संसाधन विकास निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	—सदस्य	
4. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन/एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास) से उप सचिव से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. डी.एच.आर.डी./16342/प्रशा./सी/पी/01]

रोज़ी शर्मा, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में सा.का.नि. 70 तारीख 23 जून, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अभी तक संशोधित नहीं किए गए हैं।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 14th February, 2005

S.R.O. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993 namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993,—

(a) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"3. Senior Administrative Officer Gr. II	55* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

7	8	9
Not applicable	**ESSENTIAL** (i) Degree of a recognized University or equivalent, (ii) four year's experience of administration, establishment and accounts	Not applicable

485 GI/05-4

8
work in a supervisory capacity under the Central or State Government or Union Territory Administration or a public sector undertaking or an autonomous organisation or a Semi Government organisation or a commercial concern. **Note 1 :**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :**—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of Candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** (i) Diploma in Personal Management or Industrial Relations from a recognised Institution. (ii) Experience in scientific or industrial or technical organisation or department.

10	11	12
One year	65% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment. 25% by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment. 10% direct recruitment.	**Promotion :** Administrative Officer in the pay scale of Rs. 6500-10500 with five years regular service in the grade. **Note :** The qualifying service for promotion in respect of Administrative Officers appointed on regular basis on or before the commencement of the Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2005, shall be three years. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such

12

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract): 1. officers under the Central or State Government or Union territory Administration or autonmous organisation or Semi-Government organisation or public sector undertakings.

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department ; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (in short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Oraganisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The miximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
I. Group 'A' Departmental Promotion Committee : (for considering promotion) 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman 2. Chief Controller, Research and Development or Chief of Personnel, Defence Research and Development Organisation — Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending or relaxing any provision of these rules;

485 GI/05—5

13

3. Director of Personnel or Director, Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation — Member

4. An Officer not below the level of Deputy Secretary from Department of Defence Research and Development/Integrated Finance (Research and Development) — Member

II. Group 'A' Departmental Promotion Committee :
(for considering confirmation)

1. Chief Controller, Research and Development or Chief of Personnel, Defence Research and Development Organisation — Chairman

2. Director of Personnel or Director Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation — Member

3. An Officer not below the level of Deputy Secretary from Department of Defence Research and Development or Integrated Finance (Research and Development) — Member

(b) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
"6. Senior Stores Officer Grade II	28* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-A Gazetted Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not applicable

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12
Two years	Promotion failing which by deputation (including short-term contract)	**Promotion :** Stores Officer in the pay scale of Rs. 6500-10500 with five years regular service in the grade. **Note :** The qualifying service for promotion in respect of Stores Officer appointed on regular basis on or before the commencement of the Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2005, shall be three years. **Note**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their

12

seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract)

1. Officers under the Central or State Government or Union territory Administration or autonomous organisation or Semi-Government organisation or public sector undertaking.

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department ; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre or department: and

(b) possessing four years' experience relating to purchase or indenting of technical stores and their maintenance or accounting.

Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (in short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Oraganisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

13		14
Group 'A' Departmental Promotion Committee: (for considering promotion) 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission	— Chairman	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending or relaxing any provision of these rules.''

13	14
2. Chief Cotroller, Research and Development or Chief of Personnel, Defence Research and Development Organisation	— Member
3. Director of Personnel or Director Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation	— Member
4. An Officer not below the level of Deputy Secretary from Department of Defence Research and Development/Integrated Finance (Research and Development)	— Member

[F. No. DHRD/16342/Adm/C/P/01]

ROSY SHARMA, Dy. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 *vide* SRO 70 dated 23rd June, 1993 and these have not been amended so far.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

का०नि०आ० 15.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा मेजर डी. के. सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, झांसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/02/झांसी/सी/डीई/2001/242/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 31st January, 2005

S.R.O. 15.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jhansi by reasons acceptance by the General Officer Commanding-in-chief, Central Command of resignation of Major D.K. Singh.

[F. No. 19/02/Jhansi/C/DE/2001/242/D(Q&C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

का०नि०आ० 16.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, झांसी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल सुधाकरण पानिकर को छावनी बोर्ड झांसी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन मेजर डी. के. सिंह के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/02/झांसी/सी/डीई/2001/242/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 31st January, 2005

S.R.O. 16.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Sudhakaran Panikar has been nominated as a member of the Cantonment Board, Jhansi by the Station Commander, Jhansi in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Major D.K. Singh whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/02/Jhansi/C/DE/2001/242/D(Q&C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.